(98)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी मनसुख राम डामोर आर. ए. एस.

प्रकरण सख्या 979 / 2018 प्रा.पत्र
दायर दिनांक 13.07.2018
निर्णय दिनांक 17.02.2021

अनवान

1. तलोक पिता नाथु जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
2. लेहरू पिता नाथु जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
3. अम्बालाल पिता नाथु जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
4. हजारी पिता नगजीराम जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
5. कालु पिता नगजीराम जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
6. बद्रु उर्फ बद्रीलाल पिता नगजीराम जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
7. शंकरलाल पिता मोडा जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. नानालाल पिता डालु जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
2. प्यारचन्द पिता खेमा जाति कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा.दी

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा.दी के तहत प्रस्तुत किया किप्रार्थीगण के द्वारा एक मूल वाद विरूद्ध विपक्षीगण एवं अन्य के न्यायालय आप में सच्चे एवं ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया गया हैं। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया होकर सुविधा संतुलन भी प्राथीगण के पक्ष में है। जिससे प्राथीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को ही कारित होगी। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान तक की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम मदारा तह0 रेलमगरा में कृषि भूमियां आराजी संख्या 148, 149, 150, 160, 208, 209, 210 151, 161, 163, 217, 768, 769, 216 कुल किता 14 कुल 10–16 बीघा भूमिया स्थित है। प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान को वादपत्र की कलम सं. 01 में वर्णित कृषि भूमियां उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। जिससे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भूमि पर काबिज होकर निरन्तर, निर्विघ्न कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं खातेदारान के पूर्वजों का वंशवृक्ष को वादपत्र के संलग्न परिशिष्ठ अ के रुप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है। प्राथीगण एवं अन्य खातेदारान अपने मूल पूर्वज पिथा, प्रताप नौला के बताये अनुसार उक्त कृषि भूमियो पर अपनी सुविधानुसार उपयोग,उपभोग निरन्तर निर्घ्न करते चले आ रहे है उक्त कृषि भूमियां उनके मूल पुरुष मियाराम से प्राप्त हुई थी अर्थात् प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमिया हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। जिससे मियाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान एवं पीथा, प्रताप, नौला की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान के आधिपत्थ खातेदारी के रूप में चली आ रही है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों के आराजी संख्या 209, 210 विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर गलत रूप से खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त कृषि भूमियों में विपक्षी संख्या 01 व 02 का कोई वैध हक अधिकार निहित नही था। क्योंकि उक्त दोनों ही कृषि भूमियां सेटलमेन्ट के पूर्व के समय से प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पर अंकित थी। जिससे विपक्षीगण संख्या 01 व 02 को उक्त कृषि भूमियों में कोई हक अधिकार निहित नहीं होते है भोपसिंह सेटलमेन्ट के वक्त ठीकाना मदारा में मुंशरीम अर्थात् लिखापढी का कार्य करते थे। जिससे उक्त सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलीभगत कर आराजी संख्या 209, 210 उनकी पत्नी धापु कुंवर के नाम पर प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम काट कर अंकित कर दी गई। जबकि उस वक्त धापु कुंवर के नाम पर किसी भी रूप से भूमियां अन्तरित नहीं हुई थी। भोपसिंह के द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर उक्त दोनों आराजियात में अपनी पत्नी का नाम अंकित करवा दिया गया। चुंकि उक्त कृषि भूमियां सेटलमेन्ट के वक्त मोतीराम पिता रूपचन्द महाजन के रहन रखी हुई थी। जिससे सेटलमेन्ट के पश्चात् उक्त रहननामा भी जरिये फर्द इख्तलाफ संख्या 44, 45, 46 के जरिये अंकित किया गया । आराजी संख्या 209 व 210 संवत् 2029 में चुंकि भोपसिंह के द्वारा दस्तावेज में कुटरचना कर एवं राजस्व कर्मचारियों से अपने प्रभाववंश त्रुटिपूर्ण अंकन करवा दी गई। इस तथ्य को भोपसिंह व उनकी पत्नी धापु कुंवर भलिभांति जानते थे कि उक्त कृषि भूमियों में उनका नाम गलत रूप से अंकित करवा दिया गया है। क्योंकि सेटलमेन्ट के वक्त तक वादग्रस्त कृषि भूमियां जो प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित है सभी का शामलाती हक से दर्ज थी एवं उसके पश्चात् आज दिनांक तक भी शामलाती हक से ही दर्ज चली आ रही है। केवल मात्र आराजी सं. 209 व 210 धापु कुंवर के नाम पर सवत् 2029 व 2030 कि जमाबंदी में त्रुटिवश अंकन हो गया। जो प्रार्थीगण के मुकाबले शुरु से शुन्य व बेअसर है। जिस आधार पर धापु कुंवर व उसके पश्चात् जिन–जिन का भी नाम उक्त दोनो आराजियात में चला आ रहा है, उसमें उनका कोई वैध हक निहित नहीं होने से विधि की नजरं में एवं प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य व बेअसर है इसलिए आराजी सं. 208, 209, 210 अभी भी वर्तमान में एक चक होकर प्रार्थीगण का ही आधिपत्य चला आ रहा है एवं वे ही उसका उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण के बिच आपसी सुविधानुसार अन्य सभी आराजियात का मौके पर विभाजन हो जाने से अलग–अलग आराजियात पर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

(100)

अलग प्रतिवादीगण का अधिपत्य चला आ रहा है। उक्त आराजी सख्या 208, 209, 210 के हिस्से में रखने से प्रार्थीगण ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, चूकिं विपक्षीगण 01 व 02 भलीभांति जानते है कि उनका प्रार्थीगण एवं शेष प्रतिवादीगण के आसपास कोई भूमियां नहीं होने से वे कभी भी वादग्रस्त कृषि भूमियों पर नहीं आये एवं न ही कभी उनको गण की जानकारी में देखा ही गया। तथाकथित धापु कुंवर के द्वारा उक्त कृषि भूमियां अपने पर केवलमात्र संवत् 2035 तक अर्थात् उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के 07 वर्ष तक ही अपने नाम पर त रखी। उसके पश्चात् धापु कुंवर को उक्त तथ्य की जानकारी थी कि उक्त आराजीयात पर का कोई वैध अधिकार नहीं हैं। एवं बेईमानी पूर्वक आशय से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो आशय, सदोष हानि कारित करने कि नियत से संवत् 2039 में जरिये नामान्तरकरण सख्या 262 में काव से उक्त दोंनो आराजियात रामगोपाल पिता रामचन्द्र महाजन को विक्रय कर दी। रामगोपल ा भी वादग्रस्त कृषि भूमियों पर कोई अधिपत्य नहीं रहा, चुकिं उक्त तथ्य की जानकारी रामगोपाल ो भी हो जाने से उनके द्वारा संवत् 2044 अर्थात् वर्ष 1990 में जरिये नामान्तरकरण सख्या 360 से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि विपक्षी सख्या 01 व 02 के नाम पर अंकित करवा दी। तब से विपक्षी सख्या 01 व 02 का नाम राजस्व जमाबंदियों में अंकित चला आ रहा है। जबकि उक्त कृषि भूमियों र विपक्षी सख्या 01 व 02 वर्ष 1990 से लगायत आज दिन तक कभी भी मौके पर नहीं आये गये चूकिं उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण ही उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे हैं। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि धापु कुंवर के द्वारा अपना नाम त्रुटिपूर्ण अंकन अथवा उनके पति जो कि तत्कालिन समय मदारा ठीकाने के मुंशरिम होने से उक्त दोनो आराजियात अंकित करा देने से एवं उनके पश्चात् धापु कुंवर के द्वारा बिना वैध अधिकारों के बिकाव द्वारा रामगोपाल महाजन के नाम पर एवं रामगोपाल महाजन के द्वारा विपक्षी सख्या 01 व 02 के नाम पर जो बिकाव नामे राजस्व जमाबंदी के अनुसार निष्पादित किये वे आरम्भ से ही प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य, बेअसर चले आ रहे है। उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण को आज करिब दो माह पूर्व जबकि विपक्षी सख्या 01 व 02 उनके परिवार द्वारा सीमा जानकारी हेतु प्रर्थाना पत्र देने एवं पुलिस थाना रेलमगरा में रिपोर्ट देने से हुई, जिससे प्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजियात के सम्बंध में समस्त राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। चूकिं त्रुटिवश आराजी सख्या 209, 210 नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व जमाबंदियों में नाम अंकित होने के आधार पर उनके द्वारा उक्त दोनों आराजियात पर कब्जा करने की धमकियां दी गई। जिससे प्राथीगण को उक्त प्रर्थाना पत्र प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया। प्राथीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर उक्त त्रुटिपुर्ण अंकन को निरस्त कराकर उक्त दोनों आराजियात में अपने खातेदारी हक से नाम अंकित करावे ताकि प्रार्थीगण जो कि वास्ताविक रूप से कृषक है उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सके एवं स्वतंत्र रूप से उनका उपयोग उपभोग कर सके तथा विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि वे प्रार्थीगण के नाम पर उक्त कृषि भूमियां अकिंत होने के पश्चात न तो वे स्वंम प्रार्थीगण के उपयोग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

(10)

में बाधा हस्तक्षेप कारीत करें एवं नाही किसी अन्य से करावें । उक्त कृषि भूमिया ग्राम तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार आपको है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा त्रुटिपुर्ण अंकन के उक्त कृषि भूमियों पर अधिपत्य करने की आज से करीब दो माह पूर्व धमकिया देने से हेतुक होकर निरन्तर जारी है।अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के जी सख्ंया 209 व 210 में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नही करें न ही किसी अन्य से करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरीये सम्मन तलब किये कर विपक्षीगण की और से प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र की कलम ख्या 01 के विवरण में वाद प्रस्तुत किया गया है जो गलत एवं झुठे आधारों पर प्रस्तुत किया गया जो निश्चित ही आप न्यायालय द्वारा खारिज होगा । प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर उक्त वादपत्र स्तुत किया है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्ंया 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नही है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाझा जारी नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति कारित नही होगी एवं यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को भारी अपुर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नगदी के रूप में सम्भव नही होगी। प्रार्थना पत्र की पेरा सख्ंया 03 का विवरण सही नही होकर स्वीकार नहीं है। आराजी सख्ंया 209 व 210 विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है। अन्य संयुक्त खातेदारान् की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नहीं है। प्रार्थना पत्र की पेरा सख्ंया 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। अन्य कोई भी खातेदारान् आराजी सख्ंया 209 व 210 पर काबिज नहीं होकर कृषि काश्त नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्ंया 05 के विवरण में कृषि भूमियां मुल पूर्वज से प्राप्त होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्ंया 06 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। आराजी सख्ंया 209, 210 के खातेदार केशु, उमेदा, चतरभुज, उदा आत्मज प्रताप कुमावत निवासी मदारा के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमियां थी। जिन्होनें 600/– रूपये में श्रीमति धापू कुंवर पत्नि भोपसिंह जी राजपूत निवासी मदारा को दिनांक 16/01/1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की एवं विक्रय की दिनांक से ही श्रीमति धापु कंवर का उक्त भूमियों पर आधिपत्य चला आ रहा है तथा श्रीमति धापु कंवर ने उक्त कृषि भूमियां रामगोपाल पिता रामचन्द्र जी महाजन निवासी मदारा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई एंव खातेदार रामगोपाल महाजन द्वारा दिनांक 12/12/1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षीगण को उक्त आराजी सख्ंया 209 व 210 अंतरित की गई तब से विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर उक्त कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग विपक्षीगण निरन्तर निर्विघ्न रूप से करते चले आ रहे है तथा विपक्षीगण का विधिक

उक्त भूमियों में निहित होकर विपक्षीगण ही उक्त भूमियों के स्वामी है। प्रार्थना पत्र की संख्या 07 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। भोपसिंह जी राजपुत निवासी मदारा ठी. के मुंशरीम नहीं थे तथा न ही भोपसिंह द्वारा सेटलमेंट अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त ी सख्या 209 व 210 अपनी पत्नि के नाम पर अंकित करवाई है बल्कि भोपसिंह की पत्नि ी धापु कुंवर को उक्त आराजी सख्या 209 व 210 के तत्कालिन खातेदार केशु, उमेदा, ुज, उदा आत्मज प्रताप कुमावत द्वारा दिनांक 16/01/1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की एवं उसी अनुरूप जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमियां धापू कुंवर के नाम र्ज हुई है तब से उक्त भूमियों पर धापू कुवंर का व उसके पश्चात् अन्य अंतरितियों का मित्व व आधिपत्य चला आ रहा है। जो मोतीराम पिता रूपचनद जी महाजन के रहन दर्ज थी व ा दिनांक 01/06/1964 को खारिज हो गया था। प्रार्थीगण ने मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो काबिल खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 08 का विवरण गलत होकर ीकार है। भोपसिंह द्वारा किसी प्रकार का कोई कुटरचित दस्तावेज निर्मित नहीं कर न ही ाजस्व कर्मचारियों से अपने प्रभाववश त्रुटिपुर्ण अंकन आराजी संख्या 209 व 210 के बारे में कराया बल्कि आराजी संख्या 209 व 210 के खातेदारों द्वारा वर्ष 1971 में श्रीमति धापु कुंवर पत्नि पसिंह के नाम पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमियां अंवरित हुई है एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमति धापु कुंवर के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई है तथा आज भी उक्त आराजी सख्या 209 व 210 किसी भी खातेदार के सामलाती हक से दर्ज नहीं होकर विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अंकित है। जो वर्ष 1989 से चली आ रही है। सम्वत् 2029 और 2030 की जमांबदी में आराजी सख्या 209 व 210 धापु कुंवर के नाम पर त्रुटिवंश अकंन नहीं होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अकंन हुआ है जो कानुनन सही अकंन हुआ है तथा धापु कंवर के पश्चात् रामगोपाल महाजन एवं उनके पश्चात् विपक्षीगण के नाम पर जरिये विक्रय पत्र से भूमियां अतंरित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है जो विधि अनुरूप ही चली आ रही है। आराजी सख्या 208, 209, व 210 वर्तमान में एक चक नहीं होकर आराजी सख्या 209 व 210 विपक्षीगण के स्वामित्व आधिपत्य की होकर वर्ष 1971 से श्रीमति धापु कुवंर के आधिपत्य में एवं उसके पश्चात् रामगोपाल महाजन के आधिपत्य एंव उसके पश्चात् रामगोपाल महाजन के पश्चात् वर्ष 1989 से विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में होकर विपक्षीगण ही उक्त भूमियों पर कृषि काश्त उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को एवं सभी को है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। आराजी सख्या 209 व 210 विपक्षीगण के आधिपत्य में होकर विपक्षीगण ही उपयोग उपभोग कृषि काश्त करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण का वर्ष 1971 के पश्चात् उक्त कृषि भूमियों पर कभी कोई आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त अन्य संयुक्त खातेदार एवं प्रार्थीगण को अच्छी तरह से आराजी संख्या 209 व 210 के विक्रय पत्र की जानकारी होने से उक्त कृषि भुमियों पर वर्ष 1971 के पश्चात् कभी नहीं आये । विपक्षीगण ही उक्त भूमियों पर काबिज होकर निरन्तर कृषि काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। धापु कुंवर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राजी सख्या 209 व 210 क्रय की थी एंव उसके पश्चात् उन्हें रूपयों की आवश्यकता होने से भूमियां रामगोपाल पिता रामचन्द्र महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के से विक्रय की धापु कुंवर द्वारा कोई बेईमानी पूर्वक आशय से उक्त भूमियां अतंरित नहीं की चूंकी उक्त जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति साथ संलग्न र्थना पत्र की कलम सख्या 11 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। खातेदार रामगोपाल विपक्षीगण को वर्ष 1989 में दिनांक 21/12/1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त यां विपक्षपीगण को विक्रय की एवं इससे पूर्व उक्त भूमियों पर रामगोपाल महाजन का आधिपत्य र रामगोपाल महाजन उपयोग उपभोग कर रहा था उसके पश्चात् विपक्षीगण के द्वारा खरीद की नांक से उक्त भूमियों पर निरन्तर निर्वघ्न रूप से आराजी सख्या 209 व 210 पर काबिज होकर बि काश्त उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त आरजीयातों पर वर्ष 1971 के श्चात् कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही कभी उपयोग उपभोग किया है। धापु कवंर के ति भोपसिंह द्वारा उक्त भूमियां अवैधानिक तरिके से अपनी पत्नि के नाम पर अंकित नहीं कराई ई है आराजी संख्या 209 व 210 के तत्कालीन खातेदार केशु उमेदा चतरभूज , उदा पिता प्रताप रावत निवासी मदारा द्वारा धापु कुंवर के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमियां विक्रय की गई एवं विक्रय पत्र के आधार पर धापु कुवंर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हुई है एवं धापु कुवंर क पश्चात् उक्त भूमियां जो रामगोपाल महाजन एवं उसके पश्चात् विपक्षीगण के नाम पर जो भूमियां अंतरित हुई है वह जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विधिक रूप से अंतरित हुई है एंव उसी अनुरूप जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वर्ष 1971 में धापु कुंवर के व उसके पश्चात् रामगोपाल महाजन के एवं उसके पश्चात् विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित चली आ रही है जो विधि अनुरूप चली आ रही है । जो भी विक्रय पत्र निष्पादित हुऐ है वह विधि अनुसार ही निष्पादित हुए है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर विपक्षीगण के मुकाबले प्रभावशाली है। प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 12 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण के द्वारा पुलिस थाना रेलमगरा में सीमा जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। बल्कि विपक्षीगण के उक्त आराजी सख्या 209 व 210 में प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से जाली तोडने एंव नुकसान करने के संबंध में प्रस्तुत की गई जिस पर विपक्षीगण की ओर से मुकदमा दर्ज होकर धारा 447, 427, भा.द.स. में चालान माननीय न्यायालय न्यायाधिकारी महोदय ग्राम न्यायालय रेलमगरा मं पेश हुआ है। जो जेर पेन्डिंग है। आराजी संख्या 209 व 210 विधिक विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अंकित चली आ रही है एवं विपक्षीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रार्थना पत्र की पेरा सख्या 13 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं विपक्षीगण के नाम पर किसी प्रकार का कोई त्रुटिपुर्ण अंकन नहीं हुआ है। जो अकंन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है वह विधि अनुरूप जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुआ है एंव विपक्षीगण ही उक्त आराजीयात के वास्ततिक खातेदार कृषक है । विपक्षीगण के पूर्वजो

रा जो वर्ष 1971 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त आराजीयात् विक्रय की है उसके र्थीगण का उक्त भूमियों में विधिक रूप से कोई हक अधिकार नहीं है एंव न ही अपने र दर्ज अंकित कराने के कानुनन अधिकारी है। विपक्षीगण के कब्जे काश्त की भूमि होने से र्थीगण का वर्ष 1971 से उक्त कृषि भूमियों पर कोई आधिपत्य नहीं होने से विपक्षीगण ार के विरूद्ध कानुनन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तथा वर्ष से उक्त भूमियों पर कब्जा नहीं होने से कानुनन बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने र्थीगण किसी भी रूप में अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की पेरा सख्या 15 का विवरण गलत र अस्वीकार हैं वर्ष 1989 से विपक्षीगण का आधिपत्य उक्त कृषि भूमियों पर निरन्तर निर्वघ्न से चला आ रहा हैं । इससे पूर्व, पूर्व खातेदारान् का वर्ष 1971 से उक्त कृर्षि भूमियों पर कब्जा आ रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ हैं एवं बिना प्रार्थना पत्र हेतुक न्न होए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। विशेष जवाब यह कि ग्राम ारा की वादग्रस्त आराजी संख्या 209 व 210 के खातेदार श्री केशु , उमेदा, चतरभुज , उदा ता प्रताप कुमावत निवासी मदारा द्वारा उक्त आराजी सख्या 209 व 210 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय त्र के 600/— रूपयें में श्रीमति धापु कुंवर पत्नि भोपसिंह राजपुत निवासी मदारा को विक्रय की उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात श्रीमति धापु कुंवर के नाम पर जरिये जिस्टर्ड विक्रय पत्र से अतंरित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है जो सम्पति अंतरण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार विधिक रूप से अतंरित हुई है एंव वर्ष 1971 से उक्त कृषि भूमियों पर श्रीमति धापु कुंवर का स्वामित्व एवं कब्जा रहा है तथा उसके पश्चात् उक्त आराजीयातों की खातेदार श्रीमति धापु कुंवर ने श्री रामगोपाल पिता रामचन्द्र जी महाजन निवासी मदारा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई एंव कब्जा सिपुर्द किया गया जिससे रामगोपाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हुई एंव उसके पश्चात् दिनांक 21/12/1989 को उक्त आराजी सख्या 209 व 210 प्रतिवादी सख्या 01 व 02 तत्कालीन खातेदार रामगोपाल पिता रामचन्द्र जी महाजन निवासी मदारा द्वारा 12000/— रूपये में विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अंकित हुई है जो विधि अनुरूप दर्ज हुई है। वर्ष 1989 से विपक्षीगण आराजी सख्या 209 व 210 पर निरन्तर निर्वघ्न रूप से काबिज होकर कृषि काश्त उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों पर वर्ष 1971 के पश्चात् कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आराजी सख्या 209 व 210 के तत्कालिन खातेदारान् द्वारा श्रीमति धापु कुंवर के पक्ष में जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था वह विधि अनुरूप निष्पादित किया गया था व उसी अनुरूप उक्त अन्तरण हुए है जो कानुनन सही हैं । प्रार्थीगण ने जबरन विपक्षीगण को जलील परेशान कर उक्त कृषि भूमियां हडपने के आशय से मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण किसी भी रूप में उक्त भूमियों की घोषणा अपने नाम पर कराने के कानुनन अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विपक्षीगण अधिवक्ता ने (1) RRT पेज संख्या 133, 2013(2) RRT पेज संख्या 829, 2014(1) RRT पेज संख्या 523, (2) RRT पेज संख्या 1301 एवं 2015(1) RRT पेज संख्या 633 के प्रस्तुत की गयी। पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 209 व सेटमेन्ट के मिलान खसरा में पूर्व खातेदार धापूकंवर पत्नि भोपसिंह राजपूत के नाम दर्ज होकर मिलान खसरा के विशेष विवरण कलम संख्या 26 में मिसल संख्या 37/71 फैसल /09/1971 से इन्द्राज तरमीम होना अंकित कर रखा है। इसके पश्चात् खातेदार श्रीमति धापु ने श्री रामगोपाल पिता रामचन्द्र जी महाजन निवासी मदारा को विक्रय की गई जिससे रामगोपाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित हुई एंव उसके पश्चात् उक्त आराजी सख्या 09 व 210 प्रतिवादी सख्या 01 व 02 तत्कालीन खातेदार रामगोपाल पिता रामचन्द्र जी महाजन निवासी मदारा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अंकित होना पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से सिद्व होता है। किन्तु वादीगण द्वारा उक्त मिसल संख्या 37/71 की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये जाने से धापु कुंवर के नाम पर अंकत त्रुटिपूर्ण ढंग से किया हो ऐसा सिद्व नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सेटमलेन्ट के समय से ही पूर्व खातेदार धापू कुंवर के नाम दर्ज हो उसका कब्जा काश्त रहा बाद में उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय होते होते वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड होकर उन्ही का कब्जा काश्त है। चूँकि वादग्रस्त आराजी संख्या 209 व 210 के विपक्षीगण वर्तमान रिकार्डेड खातेदार हो उनको कब्जा है तथा खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नही है। बहस के दौरान विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें भी विपक्षीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में मामलें में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नही होकर सुविधा संतुलन भी प्राथीगण के पक्ष में नही होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा.दी का प्रथम दृष्टया नही होकर सुविधा संतुलन तीनों बिन्दुओं पर प्राथीगण के पक्ष में नही होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा